

शैक्षिक समाचार  
राजस्थान



**कार्यालय प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बगडी नगर, जिला-पाली**

Email : principlaldlet281028@gmail.com

Phone : 02960-281028

कमांक:-डाईट/बगड़ी/5वीं-8वीं परीक्षा/2023/-2413

दिनांक:- 4/4/2023

प्रेषित-

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

पं. स. समस्त जिला- पाली

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8) 2023 व प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर . .

मूल्यांकन (कक्षा 5) 2023 के सत्रांक निर्धारण वावत।

संदर्भ:- निर्देशक प्रा.शिक्षा राजस्थान वीकानेर के पत्रांक- शिविरा/प्रार/पंविप/प्रा.शि.पूप/दिशा निर्देश/  
2022 दिनांक-22/10/2022.

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8) 2023 व प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2023 में सत्रांक निर्धारण व पोर्टल पर अपलोडिंग हेतु दिशा निर्देश अधिनस्थ विद्यालयों से पालनार्थ प्रेषित है। अक्षरश पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- दिशा निर्देश की प्रति -

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8) 2023
2. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2023

प्रधानाचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बगड़ी नगर जिला पाली

दिनांक:- 4/4/2023

कमांक:-डाईट/बगड़ी/5वीं-8वीं परीक्षा/2023/-

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ व पालनार्थ-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी - समसा पाली
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय) पाली
3. प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक समस्त राजकीय/नीजि विद्यालय जिला- पाली

प्रधानाचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बगड़ी नगर जिला पाली

**Signature valid**

Digitally signed by Har Om Hiragar  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.02.04 15:49:14 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3110220



कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

mail id-panjiyak8pppp@gmail.com

क्रमांक-शिविरा/प्रार/पविप/प्राशिपूप/दिशा निदेश/2022

पू.ताप-0151-2226570

दिनांक- 22/12/2022

पजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर	निदेशक आर.एस.सी.ई.आर.टी. जयपुर
सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संग्राम	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामरत

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), परीक्षा 2023 हेतु दिशा-निर्देश जारी करने के क्रम में।

प्रसंग:- शासन का पत्र क्रमांक-प.17(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक-21.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), परीक्षा 2023 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के लिए सलग्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (सामान्य दिशा निर्देश)

(गौरव अग्रवाल)  
IAS

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 22/12/2022

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई. राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारं.शि.), विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
9. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक/वजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.व्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

22/12/22  
पजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2023 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर 'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं माता विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय दिये गए। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक. 4.17(30)/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कायोत्तर पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को पाबंद किया गया कि इस परीक्षा के आयोजन पर होने वाले व्यय का वहन राजस्थान अध्यापक पत्रिका परीक्षा (REET) से प्राप्त आय से किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए आयोज्य परीक्षा हेतु शिक्षा विभाग के विभिन्न संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्य हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-
  - परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
  - कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
  - परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
  - आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर/समस्त डाईट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।
  - परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बजटरी मांग प्रस्तावों के लिए अपेक्षित प्रावधानों में आन वॉट सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नोडल एजेन्सी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना।
  - नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
2. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :-
  - परीक्षा 2023 हेतु सभी विषयों का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना।
  - परीक्षा हेतु माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में सभी विषयों के दक्षता आधारित मॉडल पेपर (द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना तथा विभिन्न विभागीय सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रचारित करना।
  - परीक्षा हेतु दक्षता आधारित (Competency Based) प्रश्न-पत्र मय उत्तरपुस्तिका निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माण कर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।
  - मूक बधिर विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मा.शि.बोर्ड अजमेर के प्रपत्र-33 के अनुसार पृथक से समस्त विषयों के द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तीन गिन्न-गिन्न दक्षता आधारित प्रश्न पत्र मय उत्तरपुस्तिका (तृतीय भाषा को छोड़कर) तैयार करना।
  - परीक्षा 2023 हेतु सभी विषयों के तीन गिन्न-गिन्न दक्षता आधारित प्रश्न-पत्र मय उत्तरपुस्तिका द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) का निर्माण कर (मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं आरक्षित हेतु) मय ब्लू प्रिन्ट व उत्तर तालिका माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में नोडल एजेन्सी को उपलब्ध करवाना।
  - आवश्यकतानुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों के सैट (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/संस्था/संगठन को उपलब्ध करवाना।

- बैठकों, कार्यशालाओं वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी की आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
- नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे नये समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग देना।

3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पेटन के विद्यालयों को छोड़ कर डाईट डटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/सम्प्रदायों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की सम्पूर्ण सूचना के शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व प्रत्येक प्रतिशत प्रविष्टि/संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना (30 नवम्बर 2022 तक)।
- कक्षा 8 में सी.बी.ई. संचालित विद्यालयों में SA-3 के स्थान पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा ही आयोजित की जाएगी तदनुसार संबंधित को निर्देश जारी करना।
- SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula कक्षा 8 में सी.बी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्राशि/मा.शि./डाईटन/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश/सामग्री इत्यादि अधिकृत वेबपोर्टल ([www.education.rajasthan.gov.in](http://www.education.rajasthan.gov.in)) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

4. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर) को तर्कनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाईन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
- परीक्षार्थियों के शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र विद्यालयवार भरवाना।
- ऑनलाईन आवेदन पत्रों में/को संशोधन करने/निरस्त कर नये आवेदन करने की सुविधा सॉ. वी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।
- ऑनलाईन आवेदनों की समेकित सूची तैयार करने हेतु तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग का मॉडयूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग का मॉडयूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- परीक्षा केन्द्र आवंटन करना एवं तदनुसार रोल लिस्ट परीक्षा केन्द्र/विद्यालय पर जारी करवाना।
- प्रवेश पत्र (रोल नम्बर) विद्यालय लॉगिन पर जारी करना।
- आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि (सत्रांक मॉडयूल) की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर प्रदान करना।
- परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना।
- परीक्षकों की मैपिंग का मॉडयूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- संग्रहण/मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन पर बाह्यांक अंक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।
- विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना।
- टी. आर. (टयुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।
- डाईट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना।
- निर्देशालय व पंजीयक स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करना।

5. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- समस्त छ. विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू, सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्नपत्र बुकलेट्स, पूरक परीक्षा प्रश्नपत्र बुकलेट्स एवं आरक्षित प्रश्नपत्र बुकलेट्स का राज्य स्तर पर मुद्रण करवाना, समस्त डाईट्स को वितरित करवाना।

- विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुचारु/संचालित संचालन, सफल आयोजन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिये अधिनियम कार्यालयों एवं परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी करना।
  - यथा संभव अभिन्न तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना केंद्रों एवं निर्धारण, मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, टी.आर.के./परीक्षाको/मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण/प्रकाशन करना, सफल प्रवेश करवाना, मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन केंद्र (सोमिन) पर प्राप्तांक प्रेषित करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टी.आर.के. (एडमिशन रजिस्ट्रार) तैयार करवाना, प्रमाण पत्र जारी करना, पुनर्गणना के आवेदन लेना, पुनर्गणना करवाकर परिणाम की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बंधित अन्य प्रश्न तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।
  - सम्बंधित आदेश निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in), एवं शालादपेण पोर्टल पर अपलोड करवाना इस हेतु सम्बंधित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
  - परीक्षा संचालन हेतु पद्याग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर तत्कानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
  - परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर द्वारा दत्तार नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकेंगे।
  - परीक्षा के दौरान दो राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
6. शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
  - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु स्मृति सहयोग के लिए आदेश/निर्देश जारी करेंगे।
  - जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य डाईट की भाग पर दीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।
7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) के कार्य एवं दायित्व:-
- प्रधानाचार्य डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन, नियंत्रण निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गणित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैंकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
  - राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
  - प्रश्न पत्रों का उत्तरपुरितका के शीलबन्ध लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करना।

- परीक्षा के दौरान नार उड़ान दरतों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परीक्षा, पर्यवेक्षण एवं आकारिक गुणागना कर परीक्षा की शुचितता, गणनीयता, विश्वरानीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना ।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षा/मूल्यांकनकर्ताओं का नियंत्रण/मैपिंग की मोनीटरिंग करना एवं त्तरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में नियत किए गए संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का अनुमोदन करवाना।
- तैयार पैल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट रतर पर जिला नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्रमाण-पत्र सीबीईओ व पीईईओ के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करना।
- जारी प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
- समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र मय उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभासी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र मय उत्तर पुस्तिकाओं को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से सुनिश्चित करना।



- ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) रोल का गठन किया जावे। जिसके अग्रीम ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन सम्बन्धी परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

9. ग्रेडिंग रक्रेल :-

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 गिनतबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले (ग्रेड- E) विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग रक्रेल निम्नानुसार है -

ग्रेड	86-100	71-85	51-70	33-50	0-32
रक्रेल	A	B	C	D	E

- ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा दी जायेगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : गि/वि/अ/अ/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol-1 दिनांक 18.10.2022 "शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में" कक्षा 8 के लिए बर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे।

10. सत्रांक निर्धारण :-

- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तित्व गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 अ के अनुसार निर्धारित होंगे।  
 उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे :-  
 65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति -3 अंक  
 76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति -4 अंक  
 86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति-5 अंक

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....)

अ. सं.	अधिगम क्षेत्र	आकलन क्षेत्र				शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया		प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों आधारित गतिविधियां		गुण पर		विषय .....	
		लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पॉर्ट फोलियो स्थिति	चौक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं सम्बद्धता	दत्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तियोग गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	न हान डे गतिविधियां	नर्तन/गान	कक्षा संधारण प्रक्रिया के सत्रांक	समर्पण	अंक	विवरण
		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
	अंक														
	नाम छात्र/छात्रा														

- ii. 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, तीकानेर के आदेश क्रमांक : शिपिरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol- I दिनांक 18.10.2022 'शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में' राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 व के अनुसार रहेगा।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

क्र. सं.	नाम छात्र/ छात्र	RKSMBK - 1 (3 Subject) अंक	RKSMBK - 2/ अर्द्धवार्षिक परीक्षा (3 Subject) अंक	योग	योग का 80 प्रतिशत (80 अंक)	प्रथम परख	द्वितीय परख	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
1		30	30-40	100	80	10	10	100	15	5	20

नोट :- हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-स के अनुसार होगा।


- iii. अन्य विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंको का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नौ बेग डे गतिविधियों के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 स के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 स**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

क्र. सं.	नाम छात्र/ छात्र	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नौ बेग डे गतिविधियां	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
1		10	10	70	10	100	15	5	20

11. सामान्य दिशा-निर्देश :-

- इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2023) होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राज पत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जायेगी।



- नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अक्टूबर द्वारा नियम आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाकर जाने वाली सुविधा/शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जायेगा।
- राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू/सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु एस विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किये जायेंगे।
- उपस्थिति एवं उसकी गणना :- कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के तैयारी अवकाश या पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रभारियों द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।
- परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।
- सानुग्रह अंक - चूंकि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
- पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाईट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिसके लिए डाईट द्वारा रु. 100/- प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाईट्स में पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन किया जाये:-
- पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि :- परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।
- डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयवधि :- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
- पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण - पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है।

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बंधित संभाग	मुख्य परीक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित जिला	जिला परीक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाईट, सम्बंधित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, सम्बंधित डाईट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रागरत जिला	सदस्य

- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सांपादित किए जायेंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 (कक्षा-8) की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

**ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति**

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि. द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारु संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पेकेट्स की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाईट द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- कला शिक्षा कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण / पी. एस.पी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों की नियमानुसार प्रविष्टि की जावेगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :-
  1. प्रश्न पत्र प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द ब्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
  2. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
  3. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जायें।
- समस्त प्रधानाचार्य, डाईट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित कर विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्यापकों से ही समन्वित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जावे।
- प्रधानाचार्य, डाईट विषयवार परीक्षकों का पैनल समन्वित मूल्यांकन केन्द्र को उपलब्ध करा दें। इस समन्वय में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जाये। आदेश अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावे।



- परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जायें।
- प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय) जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रवोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सांयकाल अपने राभाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के नियन्त्रक को देंगे।
- जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जाये। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाये।
- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाय।
- मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाईट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जावेगा। विवादित उत्तरपुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की जायेगी।
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2023 परीक्षा उत्तरपुस्तिका जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रु/कॉपी देय होगा। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2023 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्चों हेतु 2000/- (अक्षरों रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुस्त राशि देय होगी। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद 42 से होगा तथा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे।
- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान :-  
1 मार्च, 2023 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान की अध्यक्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।
- प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।
- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।




निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

mail id-panjlyak8ppp@gmail.com

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

दूरगाप-0151-2220570

दिनांक:- 22/12/2022

पजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, शिक्षा रांगुल जयपुर	निदेशक आर.एरा.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त

विषय:- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 हेतु दिशा-निर्देश जारी करने के क्रम में।

प्रसंग:- शासन का पत्र क्रमांक-प.17(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक-21.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के लिए संलग्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (सामान्य दिशा निर्देश)

(गौरव अग्रवाल)  
IAS

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई. राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रार.शि), विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि, समस्त।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
9. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक/यजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.व्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

22/12/22  
पजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर

6. राजस्थान  
केन्द्रीय  
आयता

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

1. नाम (Name) : प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2023 (Primary Education Learning Level Evaluation 2023)

2. मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants): राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)।

विशेष -उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।

3. पृष्ठभूमि व उद्देश्य :-

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ।

कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- > मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
- > कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।
- > शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना।

वर्ष: 2023 में आयोज्य मूल्यांकन हेतु विभिन्न संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4. निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
- परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
- आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर/समस्त डाईट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।
- नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
- परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
- निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2023 के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। मूल्यांकन (परीक्षा) के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन के किसी भी स्तर का अवलोकन एवं समीक्षा कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने, आवश्यक पत्राचार करने एवं समुचित नियन्त्रण करने के लिए वे अधिकृत होंगे।

5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- परीक्षा हेतु मूल्यांकन पत्रक निर्माण के लिए दक्षता आधारित ब्लू प्रिन्ट/मॉडल पेपर तैयार करना, मूल्यांकन पत्रक निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना।
- मूल्यांकन पत्रक निर्माण, मोडरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 के लिए दक्षता आधारित (Competency Based) मूल्यांकन पत्रकों का मुद्रण एवं वितरण करना।

6. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पेटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइरा डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 6 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
- कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उच्च मूल्यांकन में समुचित प्रावधान कराने हेतु स्पष्ट निर्देश, आवश्यकतानुसार RSCERT, उदयपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।
- SA-1 एवं SA-2 के अंकों को समेकित करने के तैयार Formula कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रा.शि./मा.शि./डाइटस/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों/संगठनों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वेब पोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

7. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अभिकरणों/संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिये विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
- RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।
- निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., निदेशक RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा समय समय पर की जाने वाली मांग के मुताबिक समुचित सहयोग करना।
- ऑनलाइन आवेदन कराने, आवेदन पत्र में विद्यार्थी की श्रेणी और विद्यालय की श्रेणी की मैपिंग, नामांक जारी करने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग कराने, मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांकों की ऑनलाइन फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर गेडिंग युक्त प्रमाण पत्र, क्रमोन्तत प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी. आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना।
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑनलाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार और जातिवार सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।
- परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार और जातिवार सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।

8. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व :-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक समन्वयक अभिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइटरा एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।
- यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन (मुख्य व पूरक परीक्षा) करवाने, रांग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा नामांक जारी करवाने, वीक्षकों/परीक्षकों



- मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवृण्टन करवाने, रात्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्टि करवाने, परीक्षा परिणाम तैयारी करवाने, परीक्षा परिणाम घोषणा करवाने, टी. आर. तैयार करवाने, ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र व क्रमोन्तत प्रमाण पत्र, जारी करवाने मे रात्रिया भूमिका निगारो हुए राग्वधिता अगिकरणों/कार्यालयों मे निरन्तर पाररयरिक रागन्धन रथापित कर परीक्षा चाररथाओं का नियन्त्रण एवं प्रवोधन करना।
- राग्वधित आदेश-निर्देश किगार की अधिगृत्त वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टलपर अपलोड करवाना। इरा हेतु राग्वधित तकनीकी अधिकाारियों को निर्देश जारी करना।
  - परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उगतानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
  - परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार समिति निर्माण, नियन्त्रण-कक्ष रथापना एवं अधीनरथ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।
  - राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष रथापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रवोधन करना।
  - परीक्षा/मूल्यांकन के राग्वध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकाारी, अति-निदेशक (प्रशासन), प्रा.शि. को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करवाना।
  - नान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय के शुल्क जमा होने पर विद्यार्थियों की समेकित सूची जारी करवाना।
  - आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करवाना।
  - प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।

9. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकाारियों के कार्य एवं दायित्व :-

- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष रथापित कर परीक्षा राग्वधी सूचनाएँ निरन्तर राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकाारी वतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रवोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकाारी (प्रधानाचार्य, डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकाारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकाारी से तालमेल रथापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन राग्वधी समस्त महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईटस) के कार्य एवं दायित्व :-

- प्रधानाचार्य, डाईट वतौर जिला नोडल अधिकाारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रवोधन, मूल्यांकन एवं प्रवोधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकाारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक, अधिकाारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
- निदेशालय, प्रा. शि. वीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजरथान, वीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से राग्वधित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- प्रश्न पत्र पुरितकाओं एवं अन्य आवश्यक परीक्षा राग्वधी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करना।

- परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार उड़न दस्तों का गठन (अधिकतम चार) कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकरिमक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वरानीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (म), प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग CBEO के माध्यम करवाना एवं मॉनिटरिंग करना।
- तैयार पैनेल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रवोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेडिंग युक्त प्रमाण-पत्र संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करना।
- पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में, मूल प्रति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने तथा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी व संस्थाप्रधान के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
- समय-समय पर निदेशक RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, वीकानेर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथावश्यकता दिशा-निर्देश जारी करना एवं मार्गदर्शन करना।

#### 11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- यतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रवोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पावन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य,डाईट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाईट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मीके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।



- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से करना।
  - अपने परिशेख में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र पुरितकताओं को पुनितर थाने से लाने एवं सम्वन्धित परीक्षा केन्द्रों को पितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्वन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ.के माध्यम से सुनिश्चित करना।
  - ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 (कक्षा-5) रोल का गठन किया जाएगा जो परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।
12. मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन:-  
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 के सफल संचालन एवं नियन्त्रण हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगा।

जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाईट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

- इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती हैं।
  - परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाईट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का अनुमोदन करवा लिया जावे।
  - प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2023 की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा घयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि.द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

13. प्रवेश योग्यताएं एवं क्षेत्राधिकार:-किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यालय की कक्षा 5 में अध्यागमन रागरत विद्यार्थियों का इरा मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**14. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:-**

- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इरा तरुड से किया जाये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के रागरसे बडे राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उराकी दूरी राग्वन्धित विद्यालय से 4 कि. मी. से अधिक ना हो। यदि विन्डी परिस्थितियों (विशेषतः भौगोलिक) में केन्द्र परिवर्तन किया जाना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन रागिति की अनुशंसा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयत, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजरथान, वीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथा सम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाये, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

**15. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:-**

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

**16. मूल्यांकन व्यवस्था :-**

- मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

**17. मूल्यांकन पत्रको की जाँच व्यवस्था:-**

- मूल्यांकन कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने के परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे।
- ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों (प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं) का मूल्यांकन कार्य करवाया जायेगा एवं मूल्यांकन कर्ता प्राप्तांक अपने स्टॉफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

**18. ग्रेडिंग स्केल :-** निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक मे वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान मे कक्षा-5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा-5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा-

ग्रेड	86-100	71-85	51-70	33-50	0-32
स्केल	A	B	C	D	E

- ग्रेड (ई) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी।
- पूरक परीक्षा में शामिल रागरत विद्यार्थियों को राजरथान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.09.2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजरथान, वीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMDB/01100/2021-22/Vol- I दिनांक 18.10.2022 "शैक्षिक सत्र

2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे।

- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे।

19. सत्रांक निर्धारण :-

i. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :-सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा

1. उपस्थिति के लिए 5 अंक
  2. एस.ए.-1 एस. ए.-2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक (प्रपत्र 2 अ में दी गयी तालिका के अनुसार)
- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जायेगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ऑवर ऑल ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।
  - आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।  
86 से 100 तक - 5 अंक  
76 से 85 तक - 4 अंक  
71 से 75 तक - 3 अंक  
60 से 70 तक - 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्थाप्रधान द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो)।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

सं. क्र.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया		प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों आधारित गतिविधियां			गुण पर		विषय .....			
		लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15)	उपस्थिति	योग सत्रांक
	अंक	10	10	10	20	10	10	10	10	100	15	5	20	
	नाम छात्र/छात्रा													

इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाये।

- ii. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :-कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एम प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol-I/दिनांक 18.10.

2022 'शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में' राजस्थान के शिक्षा में नए नए कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ RKSMBKके अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र-2 व के अनुसार रहेगा-

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 व

विद्यालय अभिलेख संस्करण हेतु (विषय.....)

अंक	आकलन क्षेत्र				शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया		प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ			गुण विषय			
	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चेक लिस्ट अंकन	RKSMBK आकलन 1 व 2	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नौ वेग डे गतिविधियाँ	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण	
अंक	10	5	5	30	10	10	10	10	10	100	15	5	20		
नाम छात्र/छात्रा															

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

- शिक्षण अधिगम एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया :- विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन (एस.ए.-1, एस.ए.-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट अंकन, RKSMBK आकलन 1 व 2 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर।
- प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर।
- व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ - व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नौ वेग डे गतिविधियाँ आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर।
- परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्यन्ध में:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना की जायेगी।

#### 20. अन्य दिशा-निर्देश:-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- कंपल नियमित विद्यार्थी ही इस दक्षता आधारित (Competency Based) मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। रययंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- श्रवणयाधित, दृष्टि याधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, गानसिक विमन्दता (एम.आर) एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समयवाधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।

- भ्रष्टाचारी (Blind) छात्र से निश्चित व लिखने में असमर्थ अभ्यास लिखने वाले छात्र की इसकी वृद्धि जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुतलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुमति/अनुमति केन्द्राधीनक द्वारा जारी की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जायेगी।
- निश्चय एवं अनिवार्य घाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में मुख्य भार विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन) के अध्ययन का प्राधान्य है सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। विशेष भाषा विद्यालयों में अतिरिक्त विषय (उर्दू, संस्कृत, सिंधी) का अध्यापन निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा अधिनियम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 के परीक्षा परिणाम की गणना हेतु मुख्य चार विषयों के अंकों का योग के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, विशेष/अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को ग्रेड निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष/अतिरिक्त विषय के ग्रेड का उल्लेख प्रमाण पत्र में अलग से किया जाएगा। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव की अंक प्रविष्टि (100 अंक में से) विद्यालय स्तर से प्रावधान किया जाना है।
- कला शिक्षा कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्य तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पाइण्ट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुर्नगणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाईट द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिनियम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 परीक्षा मूल्यांकन पत्रक जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रु/कॉपी देय होगा। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान वीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिनियम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रोंको स्टेशनरी एवं अन्य खर्चों हेतु 2000/- (अक्षरे रूपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुस्त राशि देय होगी। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा तथा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान वीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- डाईट जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि./मा.शि. मु. ब्लॉक शि.अ. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं मूल्यांकन पत्रक पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।
- सानुग्रह अंक:-न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
- प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।
- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक दृष्टि में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।



  
 निदेशक  
 प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं  
 पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
 राजस्थान, वीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

mail id-panjiyak8ppp@gmail.com

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

दूरभाष-0151-2226570

दिनांक:- 22/12/2022

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर	निदेशक आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), परीक्षा 2023 हेतु दिशा-निर्देश जारी करने के क्रम में।

प्रसंग:- शासन का पत्र क्रमांक-प.17(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक-21.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), परीक्षा 2023 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के लिए संलग्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (सामान्य दिशा निर्देश)

(गौरव अग्रवाल)  
I.A.S

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 22/12/2022

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई. राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारं.शि), विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि, समस्त।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
9. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

22/12/22  
पंजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर

## प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2023 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर 'प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 30 (2) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक. प.17(30)/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को पाबंद किया गया कि इस परीक्षा के आयोजन पर होने वाले व्यय का वहन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) से प्राप्त आय से किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए आयोज्य परीक्षा हेतु शिक्षा विभाग के विभिन्न संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्य हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

### 1. निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
- कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
- परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
- आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर/समस्त डाईट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।
- परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बजटरी मांग प्रस्तावों के लिए अपेक्षित प्रावधानों में आने वाली सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नोडल एजेन्सी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना।
- नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

### 2. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- परीक्षा 2023 हेतु सभी विषयों का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना।
- परीक्षा हेतु माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में सभी विषयों के दक्षता आधारित मॉडल पेपर (द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना तथा विभिन्न विभागीय सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रचारित करना।
- परीक्षा हेतु दक्षता आधारित (Competency Based) प्रश्न-पत्र मय उत्तरपुस्तिका निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माण कर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।
- मूक बधिर विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मा.शि.बोर्ड अजमेर के प्रपत्र-33 के अनुसार पृथक से समस्त विषयों के द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तीन भिन्न-भिन्न दक्षता आधारित प्रश्न पत्र मय उत्तरपुस्तिका (तृतीय भाषा को छोड़कर) तैयार करना।
- परीक्षा 2023 हेतु सभी विषयों के तीन भिन्न-भिन्न दक्षता आधारित प्रश्न-पत्र मय उत्तरपुस्तिका द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) का निर्माण कर (मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं आरक्षित हेतु) मय ब्लू प्रिन्ट व उत्तर तालिका माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में नोडल एजेन्सी को उपलब्ध करवाना।
- आवश्यकतानुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों के सैट (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/संस्था/संगठन को उपलब्ध करवाना।

- बैठकों, कार्यशालाओं वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
- नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग देना।

### 3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाईस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व शत प्रतिशत प्रविष्टि/संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना (30 नवम्बर 2022 तक)।
- कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में SA-3 के स्थान पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा ही आयोजित की जाएगी तदनुसार संबंधित को निर्देश जारी करना।
- SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्राशि/मा.शि./डाईट्स/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश/सामग्री इत्यादि अधिकृत वेबपोर्टल ([www.education.rajasthan.gov.in](http://www.education.rajasthan.gov.in)) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

### 4. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर) को तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
- परीक्षार्थियों के शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र विद्यालयवार भरवाना।
- ऑनलाईन आवेदन पत्रों में/को संशोधन करने/निरस्त कर नये आवेदन करने की सुविधा सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।
- ऑनलाईन आवेदनों की समेकित सूची तैयार करने हेतु तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- परीक्षा केन्द्र आवंटन करना एवं तदनुसार रोल लिस्ट परीक्षा केन्द्र/विद्यालय पर जारी करवाना।
- प्रवेश पत्र (रोल नम्बर) विद्यालय लॉगिन पर जारी करना।
- आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि (सत्रांक मॉड्यूल) की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर प्रदान करना।
- परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना।
- परीक्षकों की मैपिंग का मॉड्यूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।
- संग्रहण/मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन पर बाह्यांक अंक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।
- विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना।
- टी. आर. (टेबुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।
- डाईट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना।
- निदेशालय व पंजीयक स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करना।

### 5. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- समस्त छः विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्नपत्र बुकलेट्स, पूरक परीक्षा प्रश्नपत्र बुकलेट्स एवं आरक्षित प्रश्नपत्र बुकलेट्स का राज्य स्तर पर मुद्रण करवाना, समस्त डाईट्स को वितरित करवाना।



- विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन, सफल आयोजन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिये अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी कराना।
  - यथा संभव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना केन्द्रों का निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, वीक्षको/परीक्षकों/मूल्यांकन कर्ताओं का निर्धारण/आवंटन करवाना, सत्रांक प्रविष्ट करवाना, मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन केन्द्र लोगिन पर प्राप्तांक प्रविष्ट करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टीआर (टेबुलेशन रजिस्टर) तैयार करवाना, प्रमाण पत्र जारी करना, पुर्नगणना के आवेदन लेना, पुर्नगणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बंधित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।
  - सम्बंधित आदेश निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना इस हेतु सम्बंधित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
  - परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
  - परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकेंगे।
  - परीक्षा के दौरान दो राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
6. शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
  - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश/निर्देश जारी करेंगे।
  - जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।
7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) के कार्य एवं दायित्व:-
- प्रधानाचार्य डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन, नियन्त्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
  - राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
  - प्रश्न पत्रों मय उत्तरपुस्तिका के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।



- परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परीक्षक, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना ।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग की मॉनीटरिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में नियत किए गए संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का अनुमोदन करवाना।
- तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर जिला नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्रमाण-पत्र सीबीईओ व पीईईओ के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करना।
- जारी प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
- समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

#### 8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र मय उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र मय उत्तर पुस्तिकाओं को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से सुनिश्चित करना।



- ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) रोल का गठन किया जावे। जिसके अधीन ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

9. ग्रेडिंग स्केल :-

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले (ग्रेड-E) विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार है -

ग्रेड	86-100	71-85	51-70	33-50	0-32
स्केल	A	B	C	D	E

- ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जायेगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol-I दिनांक 18.10.2022 "शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में" कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे।

10. सत्रांक निर्धारण :-

- i. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 अ के अनुसार निर्धारित होंगे। उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे :-

- 65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति -3 अंक
- 76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति -4 अंक
- 86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति-5 अंक

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

क्र. सं.	अधिगम क्षेत्र	आकलन क्षेत्र				शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया		प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां		विषय .....			
		लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नौ बंग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
	अंक	10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
	नाम छात्र/छात्रा														

- ii. "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol- I दिनांक 18.10.2022 "शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में" राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब के अनुसार रहेगा।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

क्र. सं.	नाम छात्रा/ छात्र	RKSMBK - 1 (3 Subject) अंक	RKSMBK - 2/ अर्द्धवार्षिक परीक्षा (3 Subject) अंक	योग	योग का 80 प्रतिशत (80 अंक)	प्रथम परख	द्वितीय परख	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
		30	30+40	100	80	10	10	100	15	5	20
1											

नोट :- हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-स के अनुसार होगा।

- iii. अन्य विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंको का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नौ बेग डे गतिविधियां के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 स के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 स**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

क्र. सं.	नाम छात्रा/ छात्र	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नौ बेग डे गतिविधियां	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
		10	10	70	10	100	15	5	20
1									

11. सामान्य दिशा-निर्देश :-

- इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2023) होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राज पत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जायेगी।

- नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा/शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जायेगा।
- राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू/सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किये जायेंगे।
- उपस्थिति एवं उसकी गणना :- कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।
- परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्य तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।
- सानुग्रह अंक - चूंकि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
- पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाईट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिसके लिए डाईट द्वारा रु. 100/- प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाईट्स में पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन किया जाये:-
- पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि :- परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।
- डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयवधि :- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
- पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण :- पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है।

क्र.स	पदनाम	समिति मे दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बंधित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित जिला	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाईट, सम्बंधित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, सम्बंधित डाईट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला	सदस्य

- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए जायेंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2023 (कक्षा-8) की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

#### ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि. द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारु संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट्स की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाईट द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- कला शिक्षा कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण / पी. एस.पी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों की नियमानुसार प्रविष्टि की जावेगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :-
  1. प्रश्न पत्र प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द ब्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
  2. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
  3. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जायें।
- समस्त प्रधानाचार्य, डाईट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय), से समन्वय स्थापित कर विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्यापकों से ही सम्बन्धित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जावे।
- प्रधानाचार्य, डाईट विषयवार परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र को उपलब्धकरा दें। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जाये। आदेश अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

- परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जायें।
- प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय) जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सांयकाल अपने सम्भाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के नियन्त्रक को देंगे।
- जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जाये। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाये।
- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाये।
- मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाईट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जावेगा। विवादित उत्तरपुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की जायेगी।
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2023 परीक्षा उत्तरपुस्तिका जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रू/कॉपी देय होगा। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2023 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु 2000/- (अक्षरे रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुस्त राशि देय होगी। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद 42 से होगा तथा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे।
- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान :-  
1 मार्च, 2023 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की अध्यक्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।
- प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।
- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।




निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

mail id-panjiyak8ppp@gmail.com

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

दूरभाष-0151-2226570

दिनांक:- 22/12/2022

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर	निदेशक आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त

विषय:- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 हेतु दिशा-निर्देश जारी करने के क्रम में।

प्रसंग:- शासन का पत्र क्रमांक-प.17(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक-21.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के लिए संलग्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार (सामान्य दिशा निर्देश)

  
(गौरव अग्रवाल)  
I.A.S.

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई. राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारं.शि), विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि, समस्त।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
9. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

  
22/12/22  
पंजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

1. नाम (Name) : प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2023 (Primary Education Learning Level Evaluation 2023)
2. मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants): राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)।  
विशेष -उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।
3. पृष्ठभूमि व उद्देश्य :-  
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
  - मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
  - कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।
  - शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना।वर्ष: 2023 में आयोज्य मूल्यांकन हेतु विभिन्न संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-
4. निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-
  - परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
  - परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
  - आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर/समस्त डार्ट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।
  - नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
  - परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग करना।
  - पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
  - निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2023 के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। मूल्यांकन (परीक्षा) के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन के किसी भी स्तर का अवलोकन एवं समीक्षा कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने, आवश्यक पत्राचार करने एवं समुचित नियन्त्रण करने के लिए वे अधिकृत होंगे।
5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :-
  - परीक्षा हेतु मूल्यांकन पत्रक निर्माण के लिए दक्षता आधारित ब्लू प्रिन्ट/मॉडल पेपर तैयार करना, मूल्यांकन पत्रक निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनेल्स तैयार करना।
  - मूल्यांकन पत्रक निर्माण, मोडरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना।
  - प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 के लिए दक्षता आधारित (Competency Based) मूल्यांकन पत्रकों का मुद्रण एवं वितरण करना।



6. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
- कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उक्त मूल्यांकन में समुचित प्रावधान कराने हेतु स्पष्ट निर्देश, आवश्यकतानुसार RSCERT, उदयपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।
- SA-1 एवं SA-2 के अंकों को समेकित करने के तैयार Formula कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रा.शि./मा.शि./डाइट्स/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों/संगठनों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वेब पोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

7. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अभिकरणों/संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिये विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
- RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।
- निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., निदेशक RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ द्वारा समय समय पर की जाने वाली मांग के मुताबिक समुचित सहयोग करना।
- ऑनलाइन आवेदन कराने, आवेदन पत्र में विद्यार्थी की श्रेणी और विद्यालय की श्रेणी की मैपिंग, नामांक जारी करने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग कराने, मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांकों की ऑनलाइन फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर गेडिंग युक्त प्रमाण पत्र, क्रमोन्तत प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी. आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना।
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑनलाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार और जातिवार सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।
- परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार और जातिवार सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।

8. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व :-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक समन्वयक अभिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइट्स एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।
- यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन (मुख्य व पूरक परीक्षा) करवाने, संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा नामांक जारी करवाने, वीक्षको/परीक्षकों



/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवण्टन करवाने, सत्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ट करवाने, परीक्षा परिणाम तैयारी करवाने, परीक्षा परिणाम घोषणा करवाने, टी. आर. तैयार करवाने, ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र व क्रमोन्नत प्रमाण पत्र, जारी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यालयों में निरन्तर पारस्परिक समन्वयन स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।

- सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
- परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
- परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार समिति निर्माण, नियन्त्रण-कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।
- राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
- परीक्षा/मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी, अति-निदेशक (प्रशासन), प्रा.शि. को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करवाना।
- मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय के शुल्क जमा होने पर विद्यार्थियों की समेकित सूची जारी करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करवाना।
- प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/संस्कृत राजकीय/संस्कृत निजी/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।

#### 9. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-

- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ निरन्तर राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।

#### 10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) के कार्य एवं दायित्व :-

- प्रधानाचार्य, डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
- निदेशालय, प्रा. शि. बीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से सम्बन्धित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करना।

- परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार उड़न दस्तों का गठन (अधिकतम चार) कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग CBEO के माध्यम करवाना एवं मॉनिटरिंग करना।
- तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेडिंग युक्त प्रमाण-पत्र संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करना।
- पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में, मूल प्रति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने तथा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी व संस्थाप्रधान के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
- समय-समय पर निदेशक RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथावश्यकता दिशा-निर्देश जारी करना एवं मार्गदर्शन करना।

#### 11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य,डाईट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाईट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।



- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ.के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 (कक्षा-5) सेल का गठन किया जाएगा जो परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

#### 12. मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन:-

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 के सफल संचालन एवं नियन्त्रण हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगा।

#### जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाईट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

- इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती हैं।
- परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाईट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का अनुमोदन करवा लिया जावे।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2023 की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।

इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

#### ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBE0 द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि.द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

- #### 13. प्रवेश योग्यताएं एवं क्षेत्राधिकार:-
- किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**14. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:-**

- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उसकी दूरी समन्वित विद्यालय से 4 कि. मी. से अधिक ना हो। यदि किन्ही परिस्थितियों (विशेषतः भौगोलिक) में केन्द्र परिवर्तन किया जाना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथा सम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

**15. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:-**

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

**16. मूल्यांकन व्यवस्था :-**

- मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

**17. मूल्यांकन पत्रको की जाँच व्यवस्था:-**

- मूल्यांकन कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने के परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे।
- ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों (प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं) का मूल्यांकन कार्य करवाया जायेगा एवं मूल्यांकन कर्ता प्राप्तांक अपने स्टॉफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

**18. ग्रेडिंग स्केल :-** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा-5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा-5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा-

ग्रेड	86-100	71-85	51-70	33-50	0-32
स्केल	A	B	C	D	E

- ग्रेड (ई) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी।
- पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.09.2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol- I दिनांक 18.10.2022 "शैक्षिक सत्र



2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे।

- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे।

**19. सत्रांक निर्धारण :-**

i. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :-सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा

1. उपस्थिति के लिए 5 अंक

2. एस.ए.-1 एस. ए.-2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक (प्रपत्र 2 अ में दी गयी तालिका के अनुसार)

- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जायेगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ऑवर ऑल ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।

- आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

86 से 100 तक - 5 अंक

76 से 85 तक - 4 अंक

71 से 75 तक - 3 अंक

60 से 70 तक - 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्थाप्रधान द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो)।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ**

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय .....

स. अ.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया			प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां			विषय .....					
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाये।

- ii. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :-कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवम प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol-I/दिनांक 18.10.

2022 "शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में" राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSMBKके अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र-2 ब के अनुसार रहेगा-

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब**

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय.....)

स. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया			प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत अभिवृत्तियों आधारित गतिविधियां			गुण पर विषय .....					
		लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	RKSMBK आकलन 1 व 2	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नौ बेग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (15)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक		10	5	5	30	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

- शिक्षण अधिगम एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया :- विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन (एस.ए.-1. एस. ए.-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चैकलिस्ट अंकन, RKSMBK आकलन 1 व 2 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर।
- प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर।
- व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ – व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नौ बेग डे गतिविधियां आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर।
- परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना की जायेगी।

**20. अन्य दिशा-निर्देश:-**

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2023 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र मे अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केवल नियमित विद्यार्थी ही इस दक्षता आधारित (Competency Based) मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- श्रवणबाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक विमन्दता (एम.आर) एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समयावधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।

- दृष्टिहीन (Blind). हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की टड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुतलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुज्ञा/अनुमति केन्द्राधीक्षक द्वारा जारी की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जायेगी।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में मुख्य चार विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन) के अध्ययन का प्रावधान है सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। विशेष भाषा विद्यालयों में अतिरिक्त विषय (उर्दू, संस्कृत, सिंधी) का अध्यापन निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 के परीक्षा परिणाम की गणना हेतु मुख्य चार विषयों के अंकों का योग के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, विशेष/अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को ग्रेड निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष/अतिरिक्त विषय के ग्रेड का उल्लेख प्रमाण पत्र में अलग से किया जाएगा। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव की अंक प्रविष्टि (100 अंक में से) विद्यालय स्तर से प्रावधान किया जाना है।
- कला शिक्षा कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्य तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पाइण्ट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाईट द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 परीक्षा मूल्यांकन पत्रक जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रु/कॉपी देय होगा। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान वीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रोंको स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु 2000/- (अक्षरे रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुस्त राशि देय होगी। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा तथा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान वीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- डाईट जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि./मा.शि. मु. ब्लॉक शि.अ. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं मूल्यांकन पत्रक पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।
- सानुग्रह अंक:-न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
- प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।
- उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।




निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, वीकानेर

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
जिला अलवर।

**विषय :- विद्यालयों द्वारा विषयवार कक्षा-8 बोर्ड परीक्षा 2023 के सत्राकों की  
ऑनलाइन फिडिंग बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज. (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/ प्राशि/ पविप/5वीं-8वीं परीक्षा/दिशा निर्देश/2022/ दिनांक 22.12.2022 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा, 2023 (कक्षा-8) के लिए विद्यालयों द्वारा विषयवार सत्राकों एवं कार्यानुभव कला शिक्षा, स्वायत्त शिक्षा के अंकों की ऑनलाइन फिडिंग का कार्य 30.01.2023 से 11.02.2023 तक की जानी है। अतः समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन फिडिंग कार्य निर्धारित समय अवधि में संलग्न निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**सत्रांक फिडिंग हेतु दिशानिर्देश :-**

**1. ग्रेडिंग स्केल :-**

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा-8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले (ग्रेड-E) विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार है :-

ग्रेड	86-100	71-85	51-70	33-50	0-32
स्केल	A	B	C	D	E

- ग्रेड-E प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जावेगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण एवं प्राशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol.-I दिनांक 18.10.2022 शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3-8, के विद्यार्थियों के आकलन के सम्बन्ध में कक्षा-8 के लिये बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्यपुस्तक के साथ के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न पत्र 30 अंक के रहेंगे।

**2. सत्रांक निर्धारण :-**

- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :-** CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र -2 अ के अनुसार निर्धारित होंगे। उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे:-  
65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति -3 अंक  
75 से 85 प्रतिशत उपस्थिति -4 अंक  
86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति-5 अंक

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र -2 'अ'**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय.....)

क्र. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ			विषय.....				
		लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियाँ	नियमितता एवं सम्बद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नौ बेग डे गतिविधियाँ	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

2. "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण:- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2021-22/Vol.-1 दिनांक 18.10.2022 शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3-8 के विद्यार्थियों के आकलन के सम्बन्ध में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। "सत्रांक निर्धारण प्रपत्र-2 ब" के अनुसार रहेगा।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र -2 'ब'**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय.....)

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	RKSMBK-1 (3 Sub.) अंक	RKSMBK-2 अर्द्धवार्षिक परीक्षा (3 Sub.) अंक	योग	योग का 80 % (80 अंक)	प्रथम परख	द्वितीय परख	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
1		30	30-40	100	80	10	10	100	15	5	20

**नोट :-** हिन्दी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-स के अनुसार होगा।

3. अन्य विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंक भार 100 अंको का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नौ बेग डे गतिविधियाँ के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

**सत्रांक निर्धारण प्रपत्र -2 'स'**  
विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय.....)

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नौ बेग डे गतिविधियाँ	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
1		10	10	70	10	100	15	5	20

*(Handwritten Signature)*

प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष  
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा डाइट अलवर  
दिनांक : 31/01/23

क्रमांक : डाइट/अल/प्रा.शि.पू.प्र.प./2023/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर।
- श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा.(मुख्यालय) अलवर।
- कार्यालय प्रति।

*(Handwritten Signature)*

प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष  
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा डाइट अलवर


# कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2022

दिनांक:- 05.01.2023

## प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8), 2023 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2023 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

1. उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.01.2023 से प्रारंभ किए जा रहे हैं।
2. राजकीय विद्यालय/राजकीय संस्कृत विद्यालय/मूक बधिर विद्यालय/अंध विद्यालय/निजी विद्यालय/मदरसे के संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 एवं 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरवायेंगे।
3. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 18.01.2023 है। इस समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 एवं 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की वांछित सूचनाएं सम्बन्धित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार शत प्रतिशत सही हों। वे उक्त सूचनाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
5. सम्बन्धित पोर्टल पर ऑनलाइन 'आवेदन पत्र मॉड्यूल' में प्रत्येक परीक्षार्थी की समस्त सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। विद्यार्थी का विवरण विद्यालय अभिलेख के अनुसार मिलान होने पर ही आवेदन को सबमिट/लॉक किया जाना है। किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम संस्था प्रधान शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल पर सम्बन्धित मॉड्यूल में वांछित संशोधन करेंगे तत्पश्चात पुनः आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया संपादित करेंगे।
6. परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि दोनों का साइज 5 से 50 K.B. के मध्य हो तथा वे JPG/JPEG फॉर्मेट में ही हो।
7. परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद आवेदन को व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर इसकी पुनः जांच की जानी है।
8. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया के चरण:-
  - सर्वप्रथम शाला दर्पण पोर्टल के 8th Board टैब को क्लिक करें।
  - अब स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें।
  - अब Exam Activity टैब पर उपलब्ध आवेदन पत्र लिंक पर क्लिक करें।
  - अब विद्यालय के कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
  - कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन एक-एक कर भरे जाने हैं।
  - सभी आवेदन भरने के पश्चात Exam Activity टैब के आवेदन स्थिति लिंक पर जावें।
  - यहां संबंधित कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति जांचें।
  - सभी विद्यार्थियों के आवेदन होने के पश्चात ही फाइनल लॉक करें।
  - अब आप कक्षावार आवेदन की समेकित सूची डाउनलोड व प्रिंट कर सुरक्षित रखें।
  - साथ ही सभी आवेदन पत्रों (एप्लीकेशन नम्बर युक्त) को भी प्रिंट कर सुरक्षित रखें।
9. परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्य जानकारी के लिए विभागीय वैबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in> एवं शाला दर्पण/पीएसपी वैबपोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें।
10. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किये जाने से सम्बन्धित किसी प्रकार की असुविधा/समस्या/दुविधा होने की स्थिति में अपने जिले की ड्राईट अथवा ब्लॉक के सीबीईओ कार्यालय से सम्पर्क करें।

  
(नीरू भारद्वाज)


पंजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 05.01.2023

क्रमांक-शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/दिशानिर्देश/2022  
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
6. सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त निर्देश विभागीय वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. प्राचार्य ड्राईट समस्त को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा सतत प्रबोधन हेतु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा.शि./प्रा.शि, समस्त को सतत पर्यवेक्षण हेतु।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त को कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
10. संस्था प्रधान राजकीय/निजी/मदरसे/संस्कृत विद्यालय समस्त को समयबद्ध पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

  
05/01/2023

जिला शिक्षा अधिकारी  
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ  
राजस्थान, बीकानेर